उपायुक्त का न्यायालय, दुमका

रे0मि0 (पी0ए0) अपील वाद सं0 40/2021–22

तारनी राय...अपीलकर्त्ता।

बनाम

राजेन्द्र सिंह...उत्तरकारी

आदेश

11.01.2022

यह रे0मि0 (पी0ए0) अपील वाद अनुमंडल पदाधिकारी, दुमका के पी0ए0 वाद सं0–17/2021–22 में पारित आदेश दिनांक–21.08.2021 के विरूद्ध में दायर किया गया है, जिसमें अपीलकर्त्ता के दावों को अस्वीकृत करते हुए उत्तरकारी को मौजा महरा का प्रधान पद पर नियुक्त किया गया है।

अपीलकर्त्ता के विद्वान अधिवक्ता का तर्क निम्न प्रकार है :–

1. मौजा महरा के गेंजर सर्वे सेटेलमेंट के प्रधान ब्रजमोहन राय थे। उनके मृत्यू के पश्चात् जमीन्दार (Land Lord) द्वारा प्रधान नियुक्ति हेतु संथाल परगना कास्तकारी अधिनियम के धारा–6 के अन्तर्गत उपायुक्त को प्रतिवेदित नहीं किया गया।
2. मौजा महरा, खास मौजा नहीं है। प्रधानी मौजा में संथाल परगना कास्तकारी अधिनियम के धारा–6 के अन्तर्गत तथा संथाल परगना कास्तकारी रूल्स 1950 के शिड्डल V के अनुसार उत्तराधिकारी के आधार पर प्रधान नियुक्त करने का प्रावधान है।
3. उत्तरकारी गेंजर प्रधान नहीं है, को मौजा का प्रधान पद पर नियुक्त किया गया है, जो अवैध एवं गलत है।
4. गेंजर प्रधान को बरखास्त नहीं किया गया है।
5. अपीलकर्त्ता योग्य एवं शिक्षित व्यक्ति है, उन्हें किसी केस में सजा नहीं हुई है।
6. उत्तरकारी को अनुमंडल पदाधिकारी द्वारा किया गया नियुक्ति न्याय संगत नहीं है।

अतः आवेदन को स्वीकृत करते हुए अनुमंडल पदाधिकारी द्वारा पारित आदेश को रद्द किया जाय।

प्रावधान

संथाल परगना कास्तकारी अधिनियम के धारा–6 :–

Sec-6 Landlord to report the death of village headman. – When the village headman of a village which is not khas dies the landlord of the village shall report the fact within three months of its occurrence to the Deputy Commissioner with a view to the appointment of a village headman in the prescribed manner.

संथाल परगना कास्तकारी (पूरक) रूल्स–1950 सिड्यूल–V:-

The headman must be resident of the village or his permanent home must be within one mile of the village.

Rule-1- The appointments of headman shall be made in accordance with village customs. And before confirming any appointment, the Deputy Commissioner shall satisfy himself that the candidate is generally acceptable to the *raiyats,* and an opportunity shall also in every instance, be afforded to the proprietor to object to any candidate.

अनुमंडल पदाधिकारी द्वारा पारित आदेश में उल्लेखित तथ्य :–

अनुमंडल पदाधिकारी द्वारा अंचल अधिकारी, जरमुण्डी से पत्रांक–562/रा0 दिनांक–19.08.2021 एवं पत्रांक–570/रा0 दिनांक– 19.08.2021 को प्राप्त प्रतिवेदन के आधार उत्तरकारी को मौजा महरा का प्रधान पद पर नियुक्त किया गया है। अनुमंडल पदाधिकारी द्वारा पारित आदेश में प्रतिवेदन के आधार पर उल्लेख किया गया है कि मौजा महरा का अंतिम प्रधान स्व0 भागवत सिंह थे, जिनकी मृत्यू 21.06.2021 को हो चुकी है। उत्तरकारी प्रधान भागवत सिंह के जेष्ठ पुत्र है। अपीलकर्त्ता गैंजर प्रधान स्व0 ब्रजमोहन राय के वंशज से आते है, जो संथाल परगना कास्तकारी अधिनियम के धारा–6 के अन्तर्गत अर्हत्ता नहीं रखते है। उत्तरकारी को अंतिम प्रधान के जेष्ठ पुत्र होने के नाते अंचल

अधिकारी द्वारा उन्हें संथाल परगना कास्तकारी अधिनियम के धारा–6 के अन्तर्गत प्रधान पद पर नियुक्ति हेतु अनुशंसा किया है। इसी आधार पर उन्हें मौजा का प्रधान पद नियुक्त किया गया है।

निष्कर्ष

अपीलकर्त्ता के विद्वान अधिवक्ता को सुनने तथा अभिलेख में उपलब्ध कागजातों के अवलोकन से स्पष्ट है कि पूर्व प्रधान बृजमोहन राय की मृत्यु बहुत पहले हो चुकी है। पूर्व प्रधान के मृत्यु एवं नये प्रधान की नियुक्ति हेतु दिये गये आवेदन में काफी समय का अंतराल है। इस पर माननीय आयुक्त द्वारा विक्रम मुर्मू बनाम बेजन मुर्मू एवं अन्य में पारित आदेश के आलोक में कार्रवाई की जानी चाहिए, जो निम्न प्रकार उल्लेखित है :–

If there is a gap several years between the death of *pradhan* and appointment of *pradhan* then procedure laid down under Section 5 should be adopted for the appointment of new *pradhan*. The question of hereditary right has significance only when the new *pradhan is* appointed following the death of a former *pradhan.* The principle underlying that procedure is that the *raiyats* will transfer the loyalty which they had to the late *pradhan,* to his son or heir. But consideration ceases to be operative when there is a gap of several years between the death of a *pradhan* and the appointment of a new pradhan.

इस आधार पर अपीलकर्त्ता का दावा संथाल परगना कास्तकारी अधिनियम के धारा–6 के अन्तर्गत नहीं बनता है।

उत्तरकारी के पिता जो पूर्व प्रधान थे, की मृत्यु दिनांक–21.06.2021 को हो चुकी है। उत्तरकारी पूर्व प्रधान का जेष्ठ पुत्र है, किन्तु उत्तरकारी मौजा–महरा में नहीं रहते हैं। वह मौजा–मधुबन में रहता है। अनुमंडल पदाधिकारी के आदेश एवं अंचल अधिकारी के प्रतिवेदन में उल्लेख नही है कि महरा एवं मधुबन की दूरी क्या है ? संथाल परगना कास्तकारी (पूरक) रूल्स

1950 के शिउ्डल–V के अनुसार मौजा के प्रधान को स्थाई रूप से उसी मौजा में अथवा अपने निवास स्थान से 1 मील की दूरी पर रहना चाहिए। इसकी जाँच किये बिना ही उत्तरकारी को प्रधान पद पर नियुक्त किया गया है, जो न्याय संगत प्रतीत नहीं होता है। इस आधार पर नियुक्ति आदेश पर पूनर्विचार की जानी चाहिए।

आदेश

उल्लेखित तथ्यों एवं कानूनी प्रावधानों के आलोक में अनुमंडल पदाधिकारी के आदेश को विलोपित किया जाता है तथा वाद को अनुमंडल पदाधिकारी, दुमका को पुनर्विचारार्थ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि उपरोक्त बिन्दुओं पर जाँच कर प्रधान की नियुक्ति नियमानुसार की जाय।

लेखापित एवं संशोधित

11/1/22

उपायुक्त,
दुमका।

11/1/22

उपायुक्त,
दुमका।

9083 dt-11.4.22

Digitally signed by RAVI SHANKAR SHUKLA
Date: 2022.12.06 11:56:32 +05:30
Location: 169.254.227.244